



सप्तदश

बिहार विधान सभा

तृतीय सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-4

बहम्पतिवार, तिथि 07 श्रावण, 1943 (श०)
29 जुलाई, 2021 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 04

(1)	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	02
(2)	नगर विकास एवं आवास विभाग	01
(3)	पशु एवं मत्त्य मंसाधन विभाग	01
		कुल योग	--	04

एन० ओ० सी० से मुक्त करना

8. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)- क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में जमीन निवंधन के समय निवंधन विभाग द्वारा जिस मौजे में चकबंदी नहीं चल रहा है, वैसे मौजे के किसानों से भी चकबंदी विभाग से एन० ओ० सी० की माँग की जाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिन मौजों में चकबंदी नहीं की जा रही है, वैसे मौजों के जमीन खरीद विक्री के लिये निवंधन विभाग के द्वारा चकबंदी विभाग से एन० ओ० सी० की माँग करना किसानों को परेशान करने वाला होता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जमीन निवंधन करने के लिये चकबंदी विभाग को एन० ओ० सी० से मुक्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

त्रुटि दूर करना

9. श्री संजय सरावणी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)- स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 14 जून, 2021 को प्रकाशित शीर्षक “जमाबंदी के 40 फोसदी दस्तावेज अपडेट नहीं हुये, लोग परेशान” की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुये क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2015 में जमाबंदी, लगान जमा करने आदि के हिस्तिईजेशन का कार्य प्रारंभ किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कम्प्यूटर में दर्ज प्रविष्टियों का काम्पेयर किसी पदाधिकारी द्वारा जमाबंदी रजिस्टर से नहीं कराया गया, जिससे नाम, पिता का नाम, छाता, सर्वे नम्बर एवं रक्का में त्रुटियाँ रह गयी हैं तथा जमाबंदी रजिस्टर एवं लगान की पुरानी रसीद में अंकित व्यौग के आधार पर कम्प्यूटर में अपडेट नहीं करने से सबा करोड़ जमाबंदी अपडेट नहीं हो सका है, जिससे आमजन को जमीन की खरीद-विक्री करने, लोन लेने एवं अनुवान लेने में कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार जमाबंदी रजिस्टर से कम्प्यूटर में दर्ज त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियाँ कबतक सही कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

योजना बनाना

10. श्री नीतीश मिश्र (क्षेत्र संख्या-38 झज्जारपुर)- क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में शहरों की बढ़ती आबादी को ध्यान में रखकर नगर के विकास में नगर निगम, नगर परिषद्, एवं नगर पंचायतों को संख्या में सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिन मास्टर प्लान के शहरों का विकास करने से एवं जिन नक्शा फैस किये जाना चाहिए गये, मकान को सढ़क, जल निकासी आदि समस्या से जूझना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सभी तरह के निकायों वाले शहरों को विकासित करने का मास्टर प्लान बनाना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भूमि उपलब्ध कराना

11. **श्री मिश्रीलाल यादव (क्षेत्र संख्या-81 समस्तीपुर)**-- क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के किसानों को आर्थिक समृद्धि के लिये पशु धन बहुत बड़ा साधन है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पशु के मृत्यु होने पर उसके लाश को अन्यत्र रोढ़ के किनारे फेंक दिया जाता है, पशु का लाश सड़ने, गलने के बाद कई दिनों तक हवा में फैले प्रदूषण के कारण लोगों का दम घुटता रहता है, जिससे कई बीमारियों की संभावना बनी रहती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खाँड़ों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के प्रत्येक पंचायत एवं गाँव में दफनाने के लिये पशु शमशान घाट की व्यवस्था करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :

दिनांक 29 जुलाई, 2021 (₹0)।

भूदेव राय,

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा।